

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम  
अहकाम  
हुकम को  
में जारी हुए

18-10-22

पत्रावली पेश हुई द्वारा आधीवक्ता  
अपार्थक सं. 5 व 6 के जारी हुए हुकम  
जोर्टथ राजद्वारा जारी के साथ पेश की  
अपार्थकता की तमील से हुकी थी  
कवजूद तमील जोर्टथ अपार्थकता उल्लेखित  
है। तजिके तबक एक पक्षीय कार्यवाही  
अंगल में लाई गई।

पार्थके आधीवक्ता की एक पक्षीय  
कहम पार्थना पत्र पर सुनी गई। पार्थके  
के आधीवक्ता ने पार्थना-पत्र में इंग्रि  
तत्पी को दोहराव करते हुए अपार्थकता  
को पावन्ड किये जाने का निवेदन  
किया।

—चूकि पार्थके आधीवक्ता का जर्जिय  
भूलकाड में लेन्य है। अतः तबके पर  
विवाद न हो एक किली प्रकार की काड  
वाहुलता नही बडे इसको दखन में रखते  
हुए अपार्थकता को ता कैसलकाड मेंके  
एव रिपोर्ट की यथास्थिति बनाये जाने  
जारीये अस्थायी निवेदना से पावन्ड किय  
जाता है कि वह तबके उद्योगी संसद  
नं. 194 संक. 1.86 एमए वामे शास  
कारिथिया तहकील इन्डगा स्थित कृषि भूखे  
की भीके व रिपोर्ट की यथास्थिति बनाये  
रखे शासक रिपोर्ट से किसी प्रकार का  
परिचालन नही करे। पत्रावली कैसल भुनार  
दोकर कालन भूल काड रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी जिला बून्दी